कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।
संख्या–2906/नि.–5/एक(4)/ASCAD/2024–25 दिनांक 20 सितम्बर, 2024
सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषयः– पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–236971/XV-1/23–1(7)/2019 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 (Allotment ID Dt. 17 & 18-9-2024) द्वारा पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के पत्र संख्या–K-13013/2/2020 -LH(E-16206), दिनांक 08 जुलाई, 2024 से स्पेशल एवं ट्रायबल पक्ष में अवमुक्त केन्द्रांश क्रमशः ₹ 0.91 लाख एवं ₹ 0.47 लाख कुल ₹ 1.38 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है।

स्पेशल एवं ट्रायबल पक्ष में उक्त आवंटित धनराशि निम्न तालिकानुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में प्रदिष्ट किया जा रहा हैः– (धनराशि लाख ₹ में)

अनु.	योजना का नाम	योग
30	पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (100 प्र.के.स.)	0.91
31	पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (100 प्र.के.स.)	0.47
	योग–	**1.38**

(1) धनराशि का व्यय इस कार्यालय के पत्र संख्या–1953/नि.–5/एक(4)/ASCAD/2024–25 दिनांक 03 अगस्त, 2024 से उक्त योजनान्तर्गत पूर्व आवंटित बजट में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्न एलाटमेंट आईडी में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।

संख्या–2906/नि.–5/एक(4)/ASCAD/2024–25 दिनांकित–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइवर कोषागार, देहरादून।
2. लेखा शाखा/पशुधन शाखा/संख्या शाखा/क्रय प्रकोष्ठ मुख्यालय।
3. उप निदेशक, एमआईएस, मुख्यालय को विभागीय बैवसाईड में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण,/सामान्य प्रशासन/उपार्जन, मुख्यालय।
5. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
6. महालेखाकार ,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
7. गार्ड फाइल।

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।

Budget Allotment 93